झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

पंचम् झारखण्ड विधान सभा

संख्या–03

त्रयोदश (शीतकालीन) सत्र

मंगलवार, दिनांकः–19 दिसम्बर, 2023 ई०।

समयः–11:00 बजे पूर्वा० से 4:49 अप० तक।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

1. प्रश्नकाल

आज के लिए निर्धारित प्रश्नों का व्यवस्थापन निम्न प्रकार से हुआः–

(i) अल्पसूचित प्रश्नों की कुल संख्या–63

(क) उत्तरित कुल–02	अ0सू0–22,	श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की,	स0वि0स0 (18.12.2023 से स्थगित)
	अ0सू0–14,	श्री दशरथ गागराई	स0वि0स0
(ग) अपृष्ठ कुल–01	अ0सू0–08,	श्री जयप्रकाश भाई पटेल	स0वि0स0
(ग) अनागत कुल–61	क्रम संख्या–51 से 111 तक।		

2. सूचना

1. माननीय सदस्य श्री प्रदीप यादव ने सूचना दिया कि 92 सांसदों को अकारण निलंबित किया गया, जो भाजपा की तानाशाही व हिटलरशाही है। इसे रोकना पड़ेगा।
2. माननीय सदस्य श्री भानू प्रताप शाही ने सूचना दिया कि आज हजारों युवक सड़कों पर आंदोलनरत् हैं। झारखण्ड में स्पष्ट नियोजन नीति नहीं रहने के कारण पिछले चार साल से कोई नियुक्ति नहीं हो सकी है। परीक्षा की तिथि निर्धारित होने के बाद स्थगित हो रही है। सरकार को इसका उत्तर देना चाहिए।
3. माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री अमर कुमार बाउरी ने सूचित किया कि माननीय सदस्या श्रीमती पुष्पा देवी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सदन के बाहर धरने पर बैठी हुई हैं, कृपया उन्हें ससम्मान सदन के अंदर लाया जाय। तत्पश्चात् आसन से माननीय सदस्या डॉ0 नीरा यादव एवं माननीय सदस्या श्रीमती सबिता महतो को माननीय सदस्या श्रीमती पुष्पा देवी को ससम्मान सदन के अंदर लाने हेतु अधिकृत किया गया।
4. माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री अमर कुमार बाउरी ने सदन की व्यवस्था पर कहा कि संसद में निलंबित किये गये सांसदों के विषय पर सदन में निंदा प्रस्ताव लाया जाना विधान सभा के क्षेत्राधिकार से बाहर का विषय है, जिसे हटाया जाय। साथ ही सदन को सूचित करते हुए कहा कि 1971 के युद्ध में सम्मिलित सैनिक अपने विभिन्न मांगों को लेकर पिछले 18 दिनों से राजभवन के सामने अपने परिवार के साथ धरने पर बैठे हैं। साथ ही पंचायत सेवक सहित विभिन्न संगठन के लोग पिछले कई महीनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार इनकी समस्याओं के निराकरण करना तो दूर इनसे वार्ता भी नहीं कर रही है। इन सभी विषयों पर सरकार को यथाशीघ्र संज्ञान लेना चाहिए।

   तदुपरान्त संसदीय कार्य मंत्री श्री आलमगीर आलम ने उत्तर देते हुए कहा कि सेवानिवृत्त सैनिक के धरने का मामला मेरे संज्ञान में नहीं है, इसकी जानकारी प्राप्त कर निराकरण का आश्वासन देते हुए अन्य मांगों पर भी विचार करने का आश्वासन दिया।

(शोरगुल के कारण सदन की कार्यवाही 11:28 पूर्वा० में 12:30 अप० तक के लिए स्थगित)

(पुनः माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

3. शून्यकाल की सूचनायें

झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम–303 के तहत् आज के लिए स्वीकृत शून्यकाल की सूचनायें निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा पढ़ी गयीः–

सुश्री अम्बा प्रसाद	स0वि0स0
श्री मंगल कालिन्दी	स0वि0स0
श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह	स0वि0स0
श्री भूषण बड़ा	स0वि0स0
डॉ0 इरफान अंसारी	स0वि0स0
समीर कुमार महान्ती	स0वि0स0
श्री उमाशंकर अकेला	स0वि0स0
श्री संजीव सरदार	स0वि0स0
श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की	स0वि0स0
श्रीमती पूर्णिमा निरज सिंह	स0वि0स0
श्री राजेश कच्छप	स0वि0स0
श्री विनोद कुमार सिंह	स0वि0स0
श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी	स0वि0स0
श्री सरयू राय	स0वि0स0
डॉ0 लम्बोदर महतो	स0वि0स0
श्री रामचन्द्र सिंह	स0वि0स0
श्री मथुरा प्रसाद महतो	स0वि0स0
श्री दशरथ गागराई	स0वि0स0
श्रीमती सुनिता चौधरी	स0वि0स0

{शून्यकाल के दौरान माननीय सदस्य श्री सरयू राय ने सूचना पर खड़े होकर सूचित किया कि जब सदन सत्र में होता है, तो कोई भी नीतिगत निर्णय से सदन को सूचित करना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद–243(Q) के तहत् गठित जमशेदपुर औद्योगिक नगर समिति का प्रारूप सदन में रखा जाना चाहिए। इसमें जनता की हिस्सेदारी नहीं है। साथ ही माननीय सदस्य श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा ने भी इसका समर्थन करते हुए कहा कि यह क्षेत्र पाँचवीं अनुसूची के अधीन है। इस पर निर्णय माननीय राष्ट्रपति या माननीय राज्यपाल के स्तर से लेने का प्रावधान है।}

(शून्यकाल के दौरान शोरगुल एवं अव्यवस्था के बीच आसन द्वारा माननीय सदस्य श्री बिरंची नारायण, माननीय सदस्य श्री भानू प्रताप शाही एवं श्री जयप्रकाश भाई पटेल को इस सत्र के शेष अवधि के लिए निलंबित किया गया)

(12:45 अप० में माननीय नेता प्रतिपक्ष के द्वारा सदन के वहिष्कार करने की घोषणा के पश्चात् भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्यों का वहिर्गमन)

4. वित्तीय कार्य

आसन द्वारा पुकारे जाने पर योजना–सह–वित्त विभाग के माननीय प्रभारी मंत्री, डॉ0 रामेश्वर उराँव द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी की अनुदान तथा नियोजन की मांगों की अनुसूची में सम्मिलित मांग संख्या–04 "मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग)" से संबंधित मांग प्रस्तुत की गयी, जिसपर माननीय सदस्य श्री अनन्त कुमार ओझा के कटौती प्रस्ताव उनकी अनुपस्थिति के कारण माननीय सदस्य डॉ0 लम्बोदर महतो ने कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

(अन्तराल)

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

5. वित्तीय कार्य (क्रमांक–4 से जारी)

अन्तराल के पूर्व प्रस्तुत द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी पर चर्चा में भाग लेने हेतु दलगत समय आवंटन की घोषणा आसन से की गयी, तत्पश्चात् आसन की अनुमति से माननीय सदस्य डॉ0 लम्बोदर महतो ने चर्चा प्रारम्भ की। इसके उपरान्त निम्नांकित माननीय सदस्यों ने भी इसमें भाग लियाः–

श्री सुदिव्य कुमार
श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की
श्री प्रदीप यादव
श्री सरयू राय
श्री विनोद कुमार सिंह
श्री अमित कुमार यादव
श्रीमती सुनिता चौधरी
श्री समीर कुमार महान्ती
डॉ0 इरफान अंसारी

सभा की सहमति से सदन का समय कार्य समाप्ति तक के लिए विस्तारित किया गया।

तत्पश्चात् आसन से पुकारे जाने पर सरकार की ओर से माननीय प्रभारी मंत्री, योजना–सह–वित्त विभाग द्वारा उत्तर दिया गया। इसके उपरांत वित्तीय वर्ष 2023–24 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी की अनुदान तथा नियोजन की मांगों की अनुसूची में सम्मिलित मांग संख्या–04 "मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग)" से संबंधित प्रस्तुत मांग के साथ ही अनुसूची में सम्मिलित मांगें बारी–बारी से गिलोटिन (मुखबंद) के माध्यम से सभा द्वारा ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ तथा मानंनीय सदस्य डॉ0 लम्बोदर महतो द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

6. विधायी कार्य

झारखण्ड विनियोग (संख्या–04) विधेयक, 2023

माननीय प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग, डॉ0 रामेश्वर उराँव द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक पुरःस्थापित किया गया। पुरःस्थापनोपरान्त माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक पर विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के ''खण्ड–02 एवं खण्ड–03'', ''अनुसूची'', ''खण्ड–01'', ''प्रस्तावना'' तथा ''नाम'' बारी–बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री के द्वारा विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात् **''झारखण्ड विनियोग (संख्या–04) विधेयक, 2023''** सभा द्वारा स्वीकृत किया गया।

(अंतराल के बाद भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य अनुपस्थित रहे)

तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही बुधवार, दिनांक–20 दिसम्बर, 2023 के 11:00 बजे पूर्वा० तक के लिए स्थगित की, गयी।

राँची,
दिनांक–19 दिसम्बर, 2023

सैयद जावेद हैदर,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।